नैतिक संहिता (Codes of Ethics) एवं आचार संहिता (Codes of Conduct)

प्रश्न-पत्र-IV (नैतिकता के लिए)

विभिन्न संगठनों द्वारा अपने सदस्यों को 'क्या सही है और क्या गलत है' में अंतर समझाने तथा उसे निर्णयन के क्रम में व्यवहार में लाने में सहायता करने के लिए 'नैतिक संहिता' और आचार संहिता तैयार किया जाता है। नैतिक संहिता सामान्य तौर पर तीन स्तरों पर लागू होता है; व्यावसायिक नैतिक संहिता, कर्मचारियों के लिए आचार संहिता और पेशेवर अभ्यास संहिता। यहां सरकार के स्तर पर नैतिक एवं आचार संहिता की चर्चा कर रहे हैं। सिविल सेवाओं के लिए आचार संहिता पर विगत दो अंकों में चर्चा की गई है। इस अंक में भी सिविल सेवकों के शेष बचे आचार संहिता पर चर्चा की गयी है।

मंत्रियों के लिए आचार संहिता

भारत सरकार ने एक ऐसी आचार संहिता को निर्धारित किया हुआ है जो संघ और राज्य सरकारों दोनों के ही मंत्रियों पर लागू होती है। इस आचार संहिता के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं;

1. मंत्री के रूप में किसी व्यक्ति द्वारा पद संभालने से पहले, संविधान के प्रावधानों, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और ऐसे किसी अन्य कानून, जो फिलहाल लागू हो, के अतिरिक्त वह व्यक्ति:

क. यथास्थिति प्रधानमंत्री, या मुख्यमंत्री को अपने और अपने परिवार के सदस्यों की संपत्तियों और दायित्वों और व्यापार में रूचियों के ब्यौरों को प्रकट करेगा। प्रकट किए जाने वाले ब्यौरों में सभी अचल सम्पत्ति के विवरण और (अ) शेयर और डिबेंचरों, (ब) नकदी और (स) गहनों का अंदाज से कुल मूल्य शामिल होना चाहिए:

ख. मंत्री के रूप में उसकी नियुक्ति से पहले किसी चीज के स्वामित्व, किसी भी व्यवसाय को चलाने और उसके प्रबंधन में भाग लेने, जिसमें इससे पहले वह रूचि रखता था, से अपने संबंध तोड़ लेगा, और

ग. किसी ऐसी व्यावसायिक कंपनी के संबंध में जो संबंधित सरकार या उस सरकार के अधीन किसी उपकम को माल और सेवाएं प्रदान करती हो, (व्यापार अथवा व्यवसाय के सामान्य व्यवहार और मानक और बाजार दरों को छोड़ कर) अथवा जिसका व्यवसाय मुख्यत: संबंधित सरकार से प्राप्त अथवा प्राप्त होने वाले लाइसेंसों, परमिटों, कोटों, पटटों आदि पर निर्भर करता हो, ऐसे कथित व्यवसाय में और उसके प्रबंधन से वह अपनी सभी रूचियों से संबंध तोड़ लेगा।

बशर्ते कि वह (ख) के मामले में प्रबंध में अपनी रूचि को और (ग) के मामले में स्वामित्व और प्रबंध दोनों की अपनी रूचियों को अपनी पत्नी (या यथास्थिति पति) को छोड़कर अपने परिवार के किसी ऐसे व्यस्क सदस्य अथवा व्यस्क संबंधी को अंतरित कर सकता है, जो उसके मंत्री की नियुक्ति से पहले कथित व्यवसाय के संचालन अथवा प्रबंधन अथवा स्वामित्व से संबद्ध था। ऐसी सार्वजनिक सीमित कंपनियों में शेयर धारण किए रहने के मामले में रूचियों से अपना संबंध समाप्त करने का प्रश्न नहीं उठेगा, सिवाय इसके कि जहां यथास्थिति प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री यह समझे कि ऐसे शेयरों के धारण करने की प्रकृति या सीमा ऐसी है कि जिससे उसे अपने सरकारी काम के निष्पादन में अड़चन आने की संभावना हो।

2. पद पर आसीन हो जाने और पद पर रहने तक, मंत्री;

क) यथास्थिति प्रधानमंत्री या मुख्य मंत्री को हर वर्ष 31 मार्च तक अपनी सम्पत्ति और दायित्वों के संबंध में घोषणा भेजेगा,

ख) सरकार से किसी भी प्रकार की अचल सम्पत्ति को खरीदने या बेचने से अपने को अलग रखेगा, सिवाय इसके कि जहां ऐसी संपत्ति सरकार द्वारा अनिवार्य रूप से अपने सामान्य ढंग में अधिगृहित की जानी हो।

ग) किसी व्यवसाय को शुरू करने या उसमें भाग लेने से अपने को अलग रखेगा।

घ) यह सुनिश्चित करेगा कि उसके परिवार के सदस्य किसी ऐसी व्यावसायिक कंपनी को शुरू नहीं करते या उसमें भाग नहीं लेते, जो उस सरकार को माल और सेवाओं की पूर्ति करने में लिप्त हो या उस सरकार पर लाइसेंस, परमिट, कोटों, पट्टों आदि को मंजूर करवाने के लिए निर्भर हो। (व्यापार अथवा व्यवसाय के सामान्य व्यवहार और मानक और बाजार दरों को छोड़कर), और

ड.) यथास्थिति प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को उस मामले में सूचित करे, जिसमें उसके परिवार का कोई सदस्य अन्य किसी व्यवसाय को स्थापित कर लेता है या उसके संचालन और प्रबंध में भाग लेना शुरू कर देता है।

3.1 कोई भी मंत्री:

क) व्यक्तिगत रूप से या अपने परिवार के किसी सदस्य के माध्यम से, किसी भी उद्देश्य के लिए, चाहे वह राजनीतिक हो, धर्मार्थ हो या

अन्यथा हो, किसी भी चंदे को स्वीकार नहीं करेगा। यदि किसी सार्वजनिक अधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान, पंजीकृत सोसाएटी अथवा धर्मार्थ निकाय के लिए अभीष्ट कोई पर्स या चैक प्रस्तुत किया जाता है तो उसे वह यथासंभव शीघ्र ही उस संगठन को सौंप देगा जिसके लिए यह अभीष्ट है।

ख) स्वयं को (1) सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त किसी पंजीकृत सोसाएटी अथवा धर्मार्थ निकाय, अथवा संस्थान और (2) राजनीतिक दल से प्राप्त किसी लाभ को छोड़ कर किसी अन्य कोषों को जमा करने से संबद्ध नहीं रहेगा। फिर भी वह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे चन्दों को, संबंधित दल की सोसाएटी या निकाय या संस्थान के विशिष्ट पदाधिकारियों को भेज दिया जाता है और न कि स्वयं उसी को। उपर्युक्त निधियों के वितरण के लिए परिचालन से संबंद्ध रहने से मंत्री को पूर्व कथित में से कोई नहीं रोक पाएगा।

3.2 केन्द्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के अन्य मंत्रियों सहित कोई भी मंत्री अपनी पत्नी/पति और उस पर आश्रित सदस्यों को विदेशी सरकार के अधीन, भारत में या विदेश में अथवा किसी विदेशी संगठन में (व्यापारिक कंपनियों सहित) प्रधानमंत्री के पूर्व अनुमोदन के बिना कोई रोजगार स्वीकृत करने की अनुमति नहीं देगा। जहां किसी मंत्री की पत्नी या कोई आश्रित व्यक्ति पहले से ही ऐसे रोजगार को कर रहा हो तो ऐसे मामले में प्रधानमंत्री को यह निर्णय लेने के लिए सूचित किया जाना चाहिए कि इस रोजगार को जारी रखा जाए या नहीं। सामान्य नियम के रूप में, विदेशी मिशन में रोजगार पर पूरी रोक होनी चाहिए।

4.1 कोई भी मंत्री:

क) अपने निकट के संबंधियों को छोड़कर किसी से भी मूल्यवान उपहारों को स्वीकार नहीं करेगा और वह या उसके परिवार के सदस्य किसी भी ऐसे व्यक्ति से उपहार बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे जिनके साथ उसका सरकारी व्यवहार हो।

ख) अपने परिवार के किसी सदस्य को किसी प्रकार के ऐसे संविदा ऋण देने की अनुमति नहीं देगा जिससे उसके सरकारी कर्त्तव्यों के निष्पादन में अड़चन डलने या उस पर प्रभाव डलने की संभावना हो।

4.2 कोई भी मंत्री विदेश जाने पर अथवा भारत में विदेशी गणमान्य व्यक्तियों से उपहार स्वीकृत कर सकता है। ऐसे उपहार दो श्रेणियों में आते हैं। पहली श्रेणी में, वे उपहार शामिल किए जाएंगे, जो प्रतीकात्मक प्रकृति के हों, जैसे सम्मानजनक तलवार, समारोह में पहने जाने वाले वस्त्र आदि जिन्हें प्राप्तकर्ता अपने पास रख सकता है। उपहारों की दूसरी श्रेणी में वे आते हैं, जो प्रतीकात्मक प्रकृति के न हों। यदि इसका मूल्य 5000/- रुपयों से कम हो तो मंत्री इसे अपने पास रख सकता है। तथापि, उपहारों के अनुमानित मूल्य के बारे में कोई संदेह हो तो मामले को मूल्यांकन के लिए तोशखाना के पास भेज देना चाहिए। यदि उपहार का मूल्य इसके मूल्यांकन किए जाने पर निर्धारित 5000/- रुपयों के भीतर आता है तो उपहार को मंत्री के पास वापस भेज दिया जाएगा। यदि यह मूल्य 5000/- रुपयों से अधिक आता है तो इसे तोशखाने से, प्राप्तकर्ता को तोशखाना द्वारा आंके गए मूल्य और 5000/- रुपयों के अंतर का भुगतान करके खरीदने का विकल्प होगा। गृह कार्य के केवल वही उपहार जो तोशखाना द्वारा रखे जाते हैं जैसे कि दरियां, चित्रकारी, फर्नीचर आदि जिनका मूल्य 5000/- रुपयों से अधिक हो, राष्ट्रपति भवन, प्रधान मंत्री निवास या राज भवन में राज्य की संपदा के रूप में रखे जाएंगे।

4.3 किसी संगठन द्वारा किसी मंत्री/किसी ऐसे व्यक्ति जो मंत्री की हैसियत/पद पर हो, को कोई पुरस्कार प्रदान किया जा रहा हो, तो निम्नलिखित कार्य-प्रणाली को अपनाया जाना चाहिए:

क) पुरस्कार देने वाले संगठन के प्रत्ययपत्र का अध्ययन कर लिया जाना चाहिए।

ख) यदि पुरस्कार देने वाले निकाय के प्रत्ययपत्र निर्दोष हों तो ऐसे पुरस्कार को स्वीकृत कर लेना चाहिए परंतु उसके नकदी वाले भाग को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

ग) यदि पुरस्कार मंत्री के पद पर रहने से पहले इस व्यक्ति के काम से संबंधित हों तो ऐसे पुरस्कारों को स्वीकृत कर लिया जाना चाहिए परंतु ऐसे सभी मामलों में यथास्थिति प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का विशिष्ट अनुमोदन ले लिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को प्रधानमंत्री और केन्द्रीय गृह कार्य मंत्री से अनुमति लेनी पड़ेगी; और

घ) ऐसे उदाहरणों में, जहां मंत्री को किसी संगठन से ऐसा पुरस्कार लिया जाना हो, जिसके संबंध किसी विदेशी एजेंसियों/संगठनों से हों तो ऐसे मंत्री/उस व्यक्ति को जो मंत्री की हैसियत/पद पर हो, भारत के प्रधान मंत्री से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी।

4.4 मंत्री को भारत में विदेशी मिशनों अथवा विदेश में आयोजित समारोहों में शामिल होने से संबंधित और संयुक्त राष्ट्र संगठनों को छोड़ कर ऐसे विदेशी न्यास, संस्थान या संगठन जिनका भारत सदस्य हो, की सदस्यता को स्वीकृत करने के लिए, प्रधानमंत्री द्वारा समय-समय पर दिए गए अनुदेशों का पालन करना चाहिए।

5. मंत्री:

क) सरकारी दौरे पर जाते समय, जहां तक व्यवहार्य हो, स्वयं के आवास में अथवी सरकार, सरकारी उपक्रम, लोक निकायों द्वारा या संस्थानों द्वारा देखभाल कर रहे आवासों में रहना चाहिए (जैसे कि सर्किट हाउस, डाक बंगला आदि) या मान्यता प्राप्त होटलों में रहना चाहिए, और

ख) यथासंभव अपने सम्मान में दी गई भड़कीली और खर्चीली पार्टियों में जाने से बचना चाहिए।

6. आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने वाला प्राधिकारी केन्द्रीय मंत्रियों के मामले में प्रधानमंत्री, मुख्य मंत्रियों के मामले में प्रधान मंत्री और गृह मंत्री तथा राज्य के मंत्रियों के मामले में संबंधित मुख्य मंत्री होगा, सिवाय इसके कि जहां अन्यथा उल्लिखित किया गया हो। उक्त प्राधिकारी, इस संहिता के किसी तथाकथित या संदेहात्मक अतिक्रमण का निर्धारण करने या निपटाने के लिए, प्रत्येक मामले के तथ्यों और हालातों के अनुसार ऐसी कार्य-प्रणाली को अपनाएगा, जिसे वह ठीक समझे।

व्याख्या: इस संहिता में मंत्री के परिवार में उसकी पत्नी (या यथास्थिति पति) जो उससे कानूनी तौर पर पृथक न हुई हो, अव्यस्क बच्चे या अन्य व्यक्ति, जो रक्त संबंधी रिश्तेदार या विवाह से संबंध रखता हो और पूर्णतया मंत्री पर निर्भर है।

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का मत: द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के मुताबिक आचार संहिता मंत्रियों द्वारा अच्छे आचारण को सुनिश्चित करने के लिए एक आरंभिक बिन्दु है। फिर भी यह अपने आप में वृहत् नहीं है और प्रतिनिषेधों की सूची की प्रकृति इसमें अधिक है। अतः यह आवश्यक है कि आचार संहिता के अलावा, एक नैतिक संहिता होनी चाहिए जो इस बात पर मार्गदर्शन दे कि किस प्रकार मंत्री अपने कर्तव्यों का निष्पादन करते हुए संवैधानिक और नैतिक संहिता के उच्चतम प्रतिमानकों को बनाए रखें। यह संहिता कानून का पालन करने, न्याय के संचालन को बनाए रखने और जन जीवन की सत्यनिष्ठा की रक्षा करने के लिए मंत्रियों के प्रधान कार्यों पर आधारित होगी। यह मंत्री-सिविल सेवकों के संबंधों के सिद्धांतों को भी निर्धारित करेगी। नैतिक संहिता जन जीवन के सात सिद्धांतों का भी चिन्तन करेगी। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने दूसरे देशों की आचार संहिताओं की जांचोपरांत मंत्रियों की आचार संहिता और नैतिक संहिता में निम्नलिखित को शामिल किये जाने की सिफारिश की:

क. मंत्रियों को उच्चतम नैतिक प्रतिमानकों को बनाए रखना चाहिए,

ख. मंत्रियों को सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत को बनाए रखना चाहिए,

ग. संसद में जवाबदेही मंत्रियों का कर्तव्य है और उन्हें अपने विभागों और एजेंसियों की नीतियों, निर्णयों और कार्यवाईयों के लिए जवाबदेह बनना होगा,

घ. मंत्रियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी सार्वजनिक कार्यों और उनकी निजी रूचियों के बीच कोई विरोध न उठे या ऐसा प्रतीत हो कि यह उठ सकता है,

ड. लोक सभा में मंत्रियों को अपनी भूमिकाओं को मंत्री और निर्वाचन क्षेत्र के रूप में अलग-अलग रखना चाहिए,

च. मंत्रियों को चाहिए कि वे अपने दल के लिए या राजनीतिक प्रयोजनों के लिए सरकारी संसाधनों का प्रयोग न करें, उनके द्वारा लिए गए निर्णयों के लिए उन्हें स्वयं का उत्तरदायित्व स्वीकार करना चाहिए, न कि किसी की सलाह पर केवल दूसरों पर दोष मढ़ना चाहिए,

छ. मंत्रियों को चाहिए कि वे सिविल सेवा की राजनीतिक निष्पक्षता को बनाए रखें और सिविल सेवकों को ऐसा कोई काम करने के लिए न कहें, जिससे सिविल सेवकों के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के साथ विरोध उठे,

ज. मंत्रियों को उन अपेक्षाओं का पालन करना चाहिए जिन्हें संसद के दोनों सदन समय समय पर निर्धारित करे,

झ. मंत्रियों को यह मानना चाहिए कि सरकारी पद या सूचना का दुरूपयोग उस विश्वास का हनन है जो उनमें सार्वजनिक पदाधिकारियों के रूप में जताया गया है,

ञ. मंत्रियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जनता के पैसे का उपयोग अत्यन्त मितव्ययिता और सावधानी से हो,

ट. मंत्रियों को अपना काम इस प्रकार से करना चाहिए कि जिससे वे अच्छे शासन के अस्त्र के रूप में सेवा कर सकें और जनता की अधिकतम रूप से भलाई के लिए सेवाएं प्रदान कर सकें और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकें,

ठ. मंत्रियों को चाहिए कि वे उद्‌देश्यपूर्ण, निष्पक्ष, सत्यनिष्ठा से, न्यायसंगत तरीके से, मेहनत से तथा उचित और न्यायपूर्ण तरीके से काम करें।

वर्तमान आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने के प्राधिकारी, केन्द्रीय मंत्रियों के मामले में प्रधान मंत्री, मुख्य मंत्रियों के मामले में प्रधान मंत्री और गृह मंत्री और राज्य सरकार के मंत्रियों के मामले में संबंधित मुख्य मंत्री हैं। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने आचार संहिता के अनुपालन पर निगरानी रखने के लिए प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्रियों के कार्यालयों में समर्पित यूनिटों का गठन करने का सुझाव दिया। अतिक्रमणों का ब्यौरा दिए जाने वाली एक वार्षिक रिपोर्ट समुचित विधान मंडल को विचार के लिए प्रस्तुत किये जाने की भी सिफारिश की। इसके अतिरिक्त वर्तमान आचार संहिता जनता के मामलों से मेल नहीं खाती और इसके परिणामस्वरूप जनता के सदस्य शायद इस बात से अवगत नहीं है कि ऐसी संहिता भी विद्यमान है। इसलिए प्रशासनिक सुधार आयोग ने यह सिफारिश की कि इसे जनता के पहुंच में रखना सुनिश्चित किया जाना चाहिये।

वैसे केंद्र सरकार ने द्वितीय प्रशासनिक सुधार की उस सिफारिश को मानने से इंकार कर दिया जिसमें मंत्रियों के लिए अलग से नैतिक संहिता बनाने की सिफारिश की गई थी। सरकार के मुताबिक जब पहले से आचार संहिता मौजूद है तो फिर अलग से नैतिक संहिता की जरूरत नहीं है।

कानून-निर्माताओं के लिए नैतिकता

अन्य देशों में कानून-निर्माताओं के लिए नैतिक ढांचा: किसी आदर्श लोकतांत्रिक ढांचे के चार आधार-स्तंभों के बीच विधानमंडल का सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान है। यह लोगों की इच्छा की अभिव्यक्ति है और कार्यपालिका इसके लिए जवाबदेह है। यह कार्यपालिका के लिए नैतिक मानकों की आवश्यकता से पहले विधि

निर्माताओं के लिए नैतिक मानकों की आवश्यकता पर समान रूप से जोर देने की माँग करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान अपने अनुच्छेद । धारा 5 में अपने सदस्यों को अनुशासन में रखने के लिए कांग्रेस को व्यापक अधिकार प्रदान करता है।

राज्य सभा की नैतिकता समिति: राज्य सभा में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के अध्याय XXIV में सदस्यों के आचार और नैतिक संहिता पर निगरानी रखने के लिए नैतिकता समिति के गठन की व्यवस्था है। इस नैतिकता समिति का पहला गठन 4 मार्च 1997 को सदन के सभापति द्वारा किया गया था। अपनी प्रथम रिपोर्ट में समिति ने अन्य बातों के अलावा लोक जीवन में राजनीति का अपराधीकरण और निर्वाचन संबंधी सुधारों के मूल्यों जैसे मामलों पर विचार किया। इसने राज्य सभा के सदस्यों के लिए आचार संहिता की रूपरेखा का सुझाव दिया। अपनी दूसरी रिपोर्ट में समिति ने प्रथम रिपोर्ट में सुझाई गई आचार संहिता को प्रभावी करने के कार्य प्रणाली संबंधी पहलुओं पर जोर दिया जिसमें 'सदस्यों की हितों का रजिस्टर रखना', सदस्यों द्वारा हितों की घोषणा, छानबीन और दंड देने की विधि शामिल हैं। तीसरी रिपोर्ट में समिति ने सदन में और उसके बाहर सदस्यों के व्यवहार से संबद्ध मुद्दों पर विचार किया है। चौथी रिपोर्ट में, समिति ने राज्य सभा में अनुशासन और शालीनता, संपत्तियों और दायित्वों के ब्यौरों की घोषणा, हितों का पंजीकरण, आचार संहिता और शास्तियों की सिफारिश करने के लिए समिति की शक्तियों पर विचार किया है।

राज्य सभा के सदस्यों के लिए आचार संहिता: राज्यसभा के सदस्यों के लिए आचार संहिता का वर्तमान ढांचा निम्न प्रकार से है:

राज्य सभा के सदस्यों को उनमें व्यक्त किए गए विश्वास को बनाए रखने के लिए, अपना उत्तरदायित्व समझते हुए उन्हें लोगों की आम भलाई के लिए अपने शासनादेश का निष्पादन कर्मठता के साथ करना चाहिए। उन्हें संविधान, संसदीय संस्थानों और सबसे ऊपर आम जनता को उच्च सम्मान देना चाहिए। उन्हें संविधान की उद्देशिका में निर्धारित आदर्शों को वास्तविकता में बदलने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। उन्हें अपना काम करते हुए निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करना चाहिए :-

- सदस्यों को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए, जिससे संसद की अवमानना हो और उनके विश्वास पर प्रभाव पड़े,
- सदस्यों को लोगों की आम भलाई का विकास करने के लिए संसद सदस्य के रूप में अपनी हैसियत का सदुपयोग करना चाहिए।
- अपना काम करते हुए यदि सदस्यों को यह पता चलता है कि उनके व्यक्तिगत हित और उनके द्वारा प्राप्त किए हुए लोक विश्वास के बीच कोई संघर्ष है तो इस संघर्ष का इस प्रकार से समाधान कर लेना चाहिए कि उनके निजी हित, उनके सार्वजनिक पद के प्रति कर्तव्यों के बाद ही गौण समझें जाएं।
- सदस्यों को हमेशा यह देखना चाहिए कि उनकी वित्तीय रूचियां और उनके नजदीकी परिवार के हित जन हित में आड़े न आएं और यदि ये हित आड़े आ रहे हों तो उन्हें ऐसे संघर्ष का इस प्रकार से समाधान करना चाहिए कि जिससे जन हित को कोई खतरा न हो।
- सदस्यों को सदन के पटल पर उनके द्वारा किए गए किसी मतदान के लिए या मतदान न किए जाने पर, बिल पेश किए जाने पर, किसी संकल्प को प्रस्तुत किए जाने पर, किसी प्रश्न के पूछे जाने पर अथवा प्रश्न पूछने से अपने को रोके जाने पर, सदन अथवा संसदीय समिति की बैठक में चल रहे विचार विमर्श में भाग लेने के लिए किसी प्रकार के शुल्क, पारिश्रमिक अथवा लाभ की अपेक्षा अथवा उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए।
- सदस्यों को ऐसा कोई उपहार नहीं लेना चाहिए जिससे उनके सरकारी कर्तव्यों का सत्यनिष्ठा और निष्पक्ष रूप से निष्पादन करने में कोई हस्तक्षेप होता हो। फिर भी वे आकस्मिक उपहार या मूल्यहीन यादगार उपहार और रिवाजी आतिथ्य स्वीकार कर सकते हैं।
- सार्वजनिक पद पर रहते हुए सदस्यों को लोक संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार करना चाहिए कि जिससे जनता की भलाई हो सके।
- संसद सदस्य होने के नाते या संसदीय समिति के सदस्य होने के नाते यदि इन सदस्यों के पास कोई गोपनीय सूचना हो तो ऐसी सूचना को उन्हें अपने निजी स्वार्थों के लिए प्रकट नहीं करना चाहिए।
- सदस्यों को किसी व्यक्ति या संस्थानों को ऐसा कोई प्रमाण-पत्र देने से बचना चाहिए, जिसकी उन्हें कोई व्यक्तिगत जानकारी न हो और जो तथ्यपरक न हो।
- सदस्यों को ऐसे किसी मामले में तुरन्त समर्थन नहीं देना चाहिए जिसके बारे में उन्हें कोई जानकारी न हो या नाम मात्र जानकारी हो।
- सदस्यों को उन्हें उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं और सुख सुविधाओं का दुरूपयोग नहीं करना चाहिए।
- सदस्यों को किसी धर्म के प्रति असम्मान व्यक्त नहीं करना चाहिए और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए काम करना चाहिए।
- सदस्यों को संविधान के भाग 4क में सूचीबद्ध किए गए मूल कर्तव्यों को अपने मन में सर्वोपरि रखना चाहिए।
- सदस्यों से लोक जीवन में नैतिकता, गरिमा और शालीनता के उच्च मानदंडों को बनाए रखना अपेक्षित है।

लोक सभा की नैतिकता समिति: लोक सभा के सदस्यों की उस सदन में आचार और नैतिकता पर निगरानी रखने के लिए एक नैतिकता समिति बनाई गई है। नैतिकता समिति (13वीं लोक सभा) ने अपनी प्रथम रिपोर्ट में यह अवलोकन किया है कि सदस्यों के लिए नैतिक व्यवहार संबंधी मानदंडों को, लोक सभा में कार्य प्रणाली और कार्य संचालन नियमों में अध्यक्ष के निदेशों तथा विविध संसदीय समितियों द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर वर्षों से अपनाई जा रही प्रथाओं में पर्याप्त रूप से प्रावधान किया गया है। विद्यमान मानदंडों के अलावा, समिति ने यह भी सिफारिश की है कि सदस्यों को निम्नलिखित सामान्य नैतिक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए:

- सदस्यों को अपने पद का प्रयोग लोगों के सामान्य कल्याण को बढ़ावा देने के लिए करना चाहिए।
- सदस्यों की व्यक्तिगत हित और लोक हित के बीच यदि कोई संघर्ष हो तो उसे उस संघर्ष का समाधान इस प्रकार करना चाहिए कि जिससे लोक पद के कर्तव्य के प्रति व्यक्तिगत हितों गौण समझीं जाएं।
- निजी वित्तीय/पारिवारिक हितों के बीच संघर्ष को इस प्रकार से सुलझाना चाहिए कि जिससे लोक हित को खतरा न बन सके।
- सार्वजनिक पद पर रहते हुए सदस्यों को लोक संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार से करना चाहिए कि जिससे जनता की भलाई हो सके।
- सदस्यों को संविधान के भाग 4 में सूचीबद्ध किए गए मूल कर्तव्यों को अपने मन में सर्वोपरि रखना चाहिए।
- सदस्यों को लोक जीवन में नैतिकता, गरिमा और शालीनता के उच्च मानदंडों को बनाए रखना चाहिए।

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने संसद् सदस्यों के नैतिक ढांचा के संदर्भ में निम्नलिखित सिफारिशें की थी;

क. संसद के प्रत्येक सदन द्वारा 'नैतिक आयुक्त' पद का गठन किया जाना चाहिए। यह पद अध्यक्ष/उपसभापति के अन्तर्गत कार्य करते हुए नैतिकता पर समिति के अपने कामों का निष्पादन करने में सहायता करेगा और सदस्यों को यथा-आवश्यकता सलाह देगा और आवश्यक अभिलेखों को रखेगा।

ख. राज्यों के बारे में आयोग ने निम्नलिखित सिफारिशें की:

- सभी राज्य विधान मंडलों को अपने सदस्यों

के लिए नैतिक संहिता और आचार संहिता को अपना लेना चाहिए।

- विधायकों द्वारा नैतिकता आचार को सुनिश्चित करने के लिए अतिक्रमण के मामले में मंजूरियों की कार्यप्रणालियों की उत्तम परिभाषा बना कर नैतिकता समितियों का गठन किया जाना चाहिए।
- राज्यों के विधायकों द्वारा हितों की घोषणा के साथ 'सदस्यों की हितों के रजिस्टर' को बनाया रखा जाना चाहिए।
- संबंधित सदनों के पटल पर वार्षिक रिपोर्टों को, विवरण देते हुए, जिनमें अतिक्रमण शामिल हों, रखा जाना चाहिए।
- राज्य विधान मंडलों के प्रत्येक सदन द्वारा 'नैतिकता आयुक्त' के पद का गठन किया जाए। यह पद अध्यक्ष/सभापति के तहत उस आधार पर काम करेगा जैसा कि संसद के लिए सुझाया गया है।

लाभ का पद की अवधारणा एवं नैतिक संहिता

भारत के संविधान के अनुच्छेद 102(1)(अ) व 191 (1)(अ) में यह निर्धारित किया गया है कि क्रमशः उन संसद और विधानमंडल के सदस्यों को संसद या विधानमंडल का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए अयोग्य कर दिया जाएगा यदि वे सरकार के अधीन, ऐसे पद को छोड़कर, जिसको धारण करने वाले का अयोग्य न होना संसद ने विधि द्वारा घोषित किया है, कोई लाभ का पद धारण करता है। इसके पीछे मूल विचार पद के कृत्यों और विधायी कृत्यों के बीच हित संघर्ष को दूर करना है। सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने वाले लोगों को संसद या विधानमंडल का सदस्य बनने से विमुक्त करने का सिद्धांत यह है कि ऐसा व्यक्ति उस कार्यपालिका के कृत्यों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से न कर सके जिसका वह अंश है। इस सिद्धांत को ब्रिटिश के संवैधानिक इतिहास में हुए विकास में से लिया गया है, जिसके चलते यह स्थापित किया गया कि क्राउन और इसके अधिकारी संसद में अपनी बात नहीं रख सकते। संविधान के निर्माताओं ने कार्यपालिका के प्रभाव और प्रचालन से विधायी पद को पृथक रख कर बिल्कुल उचित ही किया था।

संवैधानिक सिद्धांतों में यह ध्यान रखा गया है कि निर्वाचित सदस्य सरकार के कृत्यों पर निगरानी रख सके। कानून का निर्माण, बजट का अनुमोदन और सभी सरकारी कार्यवाइयों पर निगरानी रखना सदस्यों के कार्य क्षेत्र में है। सरकार की कार्यपालिका शाखा के कानून का कार्यान्वयन करना चाहिए, लोक धन का अनुमोदित उद्देश्यों के लिए सदुपयोग करना चाहिए और विधान के प्रति इसके कृत्यों के लिए उत्तरदायी रहना चाहिए। अतः यदि सदस्य कार्यपालिका के प्रति कृतज्ञ हों तो विधान कभी भी अपनी स्वतंत्रता को कायम नहीं रख सकता और वह मंत्रिपरिषद् और अधिकारियों के समूहों पर नियंत्रण खो देता है। इस परिप्रेक्ष्य में, सदस्यों के लिए पद के लाभ पर संवैधानिक रोक लगाना आवश्यक और स्वागत योग्य दोनों ही हैं।

भारत में वैस्टमिन्स्टर मॉडल को इसलिए स्वीकृत किया, क्योंकि ये उसके साथ मेल खाता है और ऐतिहासिक संबद्धता भी है। इस मॉडल में, कार्यपालिका (मंत्रिपरिषद्) संसद या विधानमंडल से ली जाती है। यद्यपि सिद्धांत रूप में, विधानमंडल सरकार पर जवाबदेही के लिए नजर रखता है, फिर भी वास्तव में प्रायः यह देखा गया है कि सरकार विधान पर तब तक नियंत्रण रखती है जब तक सदन या विधानमंडल में इसका बहुमत होता है। सत्ता के लिए विधायकों के बहुमत की संतुष्टि के लिए अधिकतर संघर्ष मंत्रिमंडल संरचना के साथ समझौता और संरक्षण की इस आवश्यकता के साथ संबद्ध होता है। यही कारण है कि मंत्रिपरिषद् का आकार पिछले दशकों से भारी भरकम होता आया है। अन्ततः 2003 में संविधान के 91वें

संशोधन को अधिनियमित करके निचली सदन में मंत्रिपरिषद् के आकार को इसके 15 प्रतिशत तक ही सीमित कर दिया गया है। निगमों के अध्यक्ष, विविध मंत्रालयों के संसदीय सचिव के रूप में तथा लाभ के अन्य पद प्राय: विधायकों को पद, प्रतिष्ठा और विशेषाधिकार के लिए अपनी महत्त्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्राय: घूसखोरी का काम करती है। निसंदेह, यह शक्तियों को अलग करने के सिद्धांत का दुरूपयोग है। परन्तु जब तक यह दुरूपयोग लोकतंत्र के हमारे मॉडल को एकीकृत रखता है, तब तक लाभ के पद से संबंधित चर्चा को केवल तकनीकी और कानूनी मुद्दों तक सीमित रखना बहुत ही अपर्याप्त होगा।

सांविधानिक दृष्टि से कोई भी व्यक्ति तब तक मंत्री नहीं बन सकता, जब तक वह संसद सदस्य/विधायक/विधान परिषद का सदस्य न हो। यदि किसी ऐसे व्यक्ति को, जो संसद सदस्य/विधायक/विधान परिषद् का सदस्य न हो, मंत्री बनाया जाता है तो उसे छ: महीनों के भीतर संसद सदस्य/विधायक/विधान परिषद् का सदस्य बनना होगा। हमारी व्यवस्था में, इस परिप्रेक्ष्य में, कार्यपालिका और विधायिका दोनों में कोई अन्तर नहीं रह जाता। परन्तु, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देशों में, इस व्यवस्था में ऐसा नहीं होता, जिससे कुल मिलाकर भ्रष्टाचार और संरक्षण को बढ़ावा मिल सके। कारण है कि एक राजनीतिक संस्कृति का विकास किया गया है, जिसमें सार्वजनिक पद सामाजिक कल्याण की उन्नति का एक साधन है, न कि निजी या पारिवारिक लाभ के लिए। जब कि हमारे देश में काफी समय से सार्वजनिक पद का प्रयोग अपनी सम्पत्ति में बढ़ोतरी करने के लिए किया जाता है। इसीलिए, कभी-कभी सार्वजनिक पद बहुत बड़े भ्रष्टाचार के साधन और संरक्षण में वृद्धि करने के साधन बन जाते हैं।

इस प्रकार के झुकाव और दबाव में, जिसमें सरकार को अपना काम करना पड़े यह आवश्यक हो जाता है कि लाभ के पद की इस परिभाषा की पुनः समीक्षा की जाए। लाभ के पद से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 102 और अनुच्छेद 191 की भावना का वर्षों से अतिक्रमण होता आ रहा है जबकि कागजों पर इसका पालन किया जाता है। परिणामस्वरूप, विधि निर्माता अनुच्छेद 102 और अनुच्छेद 191 के अंतर्गत अयोग्यता से छूट की सूची में वृद्धि करते रहे। उदाहरण के लिए, 1959 के अधिनियम 10 में अनुच्छेद 102 के तहत अयोग्यता से छूट दिए जाने वाले सैकड़ों नामों का उल्लेख सूची में किया गया है। ऐसी सूची में किसी स्पष्ट युक्तिकरण का उल्लेख शायद समय समय पर कुछ पदधारियों की रक्षा करने के औचित्य के अलावा और कुछ प्रतीत नहीं होता। इसी प्रकार के कानून राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुच्छेद 191 के तहत अधिनियमित किए गए हैं, जिसमें राज्य विधान मंडलों के लिए सैंकड़ों पदों को अयोग्यता से छूट दी गई है। हर बार, कार्यपालिका द्वारा एक विधायक की किसी पद पर नियुक्ति कर दी जाती है जिसे लाभ के पद पर वर्गीकृत किया जा सकता हो और उस पद को छूट वाली सूची में शामिल करते हुए कानून को अधिनियमित कर दिया जाता है।

प्राय: अशोधित मानदंड अपना लिया जाता है चाहे उस पद के लिए कोई पारिश्रमिक हो या न हो। इस प्रक्रिया में, इस बात का बिना वास्तविक अन्तर करते हुए कि निर्णय लेने में कार्यपालिका के अधिकार का प्रयोग किया गया है अथवा सार्वजनिक निधियों के नियोजन में प्रत्यक्ष रूप से संलिप्तता है, इसे प्राय: नजरों से ओझल कर दिया जाता है। नियुक्ति और पद से हटाए जाने के बारे में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण भी सरकार की कार्यपालिका के हाथों-में-होता है, अत: वह दोनों जगह काम नहीं आ सकता क्योंकि कई नियुक्तियां सलाहकारी शक्यता की होती हैं। विद्यमान प्रतिमानक भी स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीमों पर लागू नहीं होते, जिसके तहत विधायकों को लोक निर्माण कार्यों की मंजूरी देने और संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीमों और विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीमों के अंतर्गत मंजूर की गई निधियों के व्ययों को अधिकृत करने के लिए सशक्त किया जाता है। अनेक दलों के नेताओं और विधायकों को उनकी मर्जी से विवेकी लोक निधियों की आवश्यकता होती है ताकि वे अपने निर्वाचन स्थलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सार्वजनिक निर्माण को जल्दी से निष्पादित करवा सकें। तथापि, ऐसी स्कीमों की शक्तियों को पृथक करने वाली धारणा गंभीर रूप से अर्थविहीन हो जाती है, क्योंकि विधायक सीधे-सीधे कार्यपालिका का काम भी करने लग जाते हैं। इससे यह दलील भी दोषपूर्ण सिद्ध हो जाती है कि विधायक इन स्कीमों के अंतर्गत सार्वजनिक निधियों को प्रत्यक्ष रूप से संचालित नहीं करते, क्योंकि ये जिला मजिस्ट्रेट के नियंत्रण में होती हैं। वास्तव में, कोई भी मंत्री सार्वजनिक धन का निपटारा नहीं करता। जहां तक कि खजानों और वितरण अधिकारियों के अलावा, कोई कर्मचारी भी व्यक्तिगत रूप से रोकड़ का संचालन नहीं करता। विधानमंडल द्वारा बजट को अनुमोदित करने के बाद व्ययों पर दिन प्रतिदिन निर्णय लेने का काम एक कार्यपालिका का एक महत्वपूर्ण कृत्य है।

विविध संवैधानिक विशेषज्ञों और विधि-वेत्ताओं ने उपर्युक्त स्कीमों को असंवैधानिक करार दिया है। लोक लेखा समिति के भूतपूर्व अध्यक्ष इरा सेजियन द्वारा लिखित 'संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम: संकल्पना, भ्रम और अन्तर्विरोध की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस स्कीम (संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम) ने संघीय व्यवस्था में संसद सदस्यों की भूमिका को विकृत कर दिया है और उन निधियों को दूसरी ओर मोड़ दिया है जिन्हें वास्तव में, पंचायती राज संस्थानों जैसी एजेंसियों के पास जाना चाहिए था। स्थानीय सरकारों के अधिकारों के हनन के अलावा, इस स्कीम को लागू करने में सबसे बड़ी गंभीर आपत्ति हितों का संघर्ष है जो तब उत्पन्न होता है, जब विधायक कार्यपालिका की भूमिका अदा करने लग जाते हैं। इसी प्रकार के मुद्दे की 1959 में संसद में कांग्रेस पार्टी की एक समिति द्वारा जांच की गई थी जिसकी अध्यक्षता वी. के. कृष्ण मेनन द्वारा की गई थी, जिसने राज्य के उपक्रमों के लिए संसदीय निगरानी के प्रश्न पर विचार किया। उस समय सार्वजनिक उद्यमों की शासी निकायों पर संसद सदस्य के नामांकन का मामला सामने आया। वी.के. कृष्ण मेनन समिति ने निष्कर्ष दिया कि ऐसी नियुक्तियों के विरूद्ध 'प्रतिफलों का अति सबल भार' होना चाहिए।

ऐसे में यह आवश्यक जान पड़ता है कि लाभ के पद की सुस्पष्ट परिभाषा बनाई जाए ताकि शक्तियों को अधिक स्पष्ट रूप से पृथक किया जा सके। वे विधायक जो मंत्री नहीं होते, अपने व्यक्तिगत या व्यावसायिक पृष्ठभूमि से प्राय: महत्वपूर्ण विशेषज्ञता वाले होते हैं। इसके अलावा, उन्हें लोक सेवा के अनुभव से लोक नीति की अद्भुत दृष्टि और विवेकशीलता मिलती है। ऐसी विशेषज्ञता और जानकारी कार्यपालिका को नीति निर्माण में मूल्यवान इन्पुट दे सकती है। अत:, विधायकों को केवल पूर्णतया सलाहकारी प्रकृति की समितियों और आयोगों के गठन में संबद्ध किया जाना चाहिए। केवल ऐसे पदों पर रह कर कुछ पारिश्रमिक और अन्य सुविधाएं प्राप्त कर लेने से ही वे कार्यपालिका के पद पर नहीं बन जाते। संविधान यह मान्यता देता है कि विशेषज्ञ और सलाहकारी निकायों में ऐसे पदों पर रहने से शक्तियों के पृथक्करण का अतिक्रमण नहीं होता और ऐसे गैर-कार्यपालिका के पद को अयोग्यता से छूट देना संसद और राज्यों के विधायकों पर छोड़ दिया जाता है। परन्तु सीधे निर्णय लेने वाली शक्तियों और क्षेत्र के कार्मिकों के दिन प्रतिदिन नियंत्रण सहित सांविधिक और गैर-सांविधिक कार्यकारी प्राधिकारी सहित नियुक्तियों में अथवा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के शासी निकायों के पद या निजी उद्यमों में सरकारी नामांकन स्पष्ट रूप से कार्यकारी उत्तरदायित्व वाले होते हैं और इनमें निर्णय लेने वाली शक्तियां संलिप्त होती हैं। ऐसी नियुक्तियों में निसंदेह शक्तियों के पृथक्करण का अतिक्रमण होता है। विधायकों को सार्वजनिक निर्माण कार्यों की मंजूरी देने या अनुमोदन देने की विवेकपूर्ण

शक्तियां प्रदान करना स्पष्ट रूप से एक कार्यकारी कृत्य का प्रयोग है, चाहे विधायकों को सरकार एक पदनामित पद दे या न दे। यहं आवयक है कि लाभ के पद की परिभाषा बनाते समय कार्यकारी कृत्यों और कार्यकारी प्राधिकारों में सुस्पष्ट तौर से अन्तर किया जाए भले ही ऐसी भूमिका या ऐसे पदों में पारिश्रमिक और सुविधाएं मिलती हों।

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने ऐसे हालातों में, कानून में निम्नलिखित संशोधन करने के सुझाव दिये:

- ऐसे सभी सलाहकारी निकायों के कार्यालयों को, जहां पर विधायक के अनुभव और जानकारियां सरकारी नीतियों में इन्पुट गिनी जा सकें, लाभ के पद नहीं समझे जाने चाहिए, भले ही ऐसे पद के साथ पारिश्रमिक और सुविधाएं मिलती हों।
- उन सार्वजनिक उद्यमों और सांविधिक और गैर सांविधिक प्राधिकरणों के शासी निकायों के पदों सहित, जिनमें नीति निर्णय करना होता है या संस्थानों का प्रबंध करना होता हो या व्ययों को अधिकृत करना या उनका अनुमोदन करना होता हो, ऐसे सभी कार्यालयों को लाभ के पद वाले कार्यालय समझा जाना चाहिए और विधायकों को ऐसे पदों को धारण नहीं करना चाहिए (विधायकों की मर्जी से विवेकशील कोषों या विशिष्ट परियोजनाओं और स्कीमों का निर्धारण करने की शक्ति या लाभार्थियों का चुनाव या व्यय को अधिकृत करना कार्यकारी कृत्यों का निष्पादन समझा जाएगा और अनुच्छेद 102 और अनुच्छेद 191 के अंतर्गत अयोग्यता समझी जाएगी, भले ही नया पद अधिसूचित या धारित कर लिया गया हो या नहीं।)
- यदि कोई सेवा-रत पदेन मंत्री योजना आयोग जैसे संगठनों का सदस्य या अध्यक्ष रहता है, जहां पर मंत्रिपरिषद् और किसी संगठन या प्राधिकरण या समिति के बीच नजदीकी समन्वय सरकार के दिन प्रतिदिन के कृत्य के लिए आवश्यक होता हो तो इसे लाभ का पद समझा जाएगा।

उच्चतम न्यायालय का एक निर्णय है कि विधानमंडलों के सदस्य भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत लोक सेवक हैं। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी सिफारिश किया कि संसद सदस्यों और विधानमंडलों के सदस्यों को सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 'लोक प्राधिकारी' घोषित कर दिया जाना चाहिए सिवाए इसके कि जब वे विधायी कृत्यों का निष्पादन कर रहे हों।

न्यायपालिका के लिए नैतिक ढांचा

न्यायपालिका की स्वतंत्रता न्यायिक नैतिकता के साथ विकट रूप से जुड़ी हुई है। जनता का विश्वास ले कर चलने वाली स्वतंत्र न्यायपालिका विधान के नियम की एक मूल आवश्यकता है। यदि किसी न्यायाधीश द्वारा ऐसा आचरण किया जाता है जिससे सत्यनिष्ठा और गरिमा का हनन दिखाई देता हो (हाल के वर्षों में कई न्यायाधीशों पर जिनमें सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हैं) तो इससे नागरिकों द्वारा न्यायपालिका पर किए हुए विश्वास को धक्का पहुंचेगा। अत: न्यायाधीश का आचरण हमेशा दोषरहित होना चाहिए।

अमरीका में, फेडरल के न्यायाधीश अमरीकी न्यायाधीशों के लिए आचार संहिता को अपनाते हैं, जो अमरीका की न्यायिक कांग्रेस द्वारा अपनाए जाने वाले नैतिक सिद्धांतों और मार्गदर्शी सिद्धांतों का एक सेट है। यह आचार संहिता न्यायाधीशों के लिए न्यायिक सत्यनिष्ठा और स्वतंत्रता, न्यायिक तत्परता और निष्पक्षता, अनुज्ञेय अतिरिक्त न्यायिक गतिविधियां और अनौचित्य से बचाव और यहां तक कि उसका लोगों के सामने आने के मुद्दों पर मार्गदर्शन प्रदान

करती है। कनाडा में, फेडरल के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोई लिखित आचार संहिता नहीं है, परन्तु विगत कई वर्षों से, कनाडा न्यायिक परिषद् द्वारा प्रकाशित विविध कागजातों में उन नैतिक मानदंडों का वर्णन मिल जाता है, जिनकी न्यायाधीशों को इच्छा रहती है। कनाडा न्यायिक परिषद् का गठन 1971 में न्यायिक शासन के क्षेत्र में व्यापक विधायी अधिदेश के साथ किया गया था। इस परिषद् का मुख्य उद्देश्य कार्यकुशलता और एकाग्रता विकसित करना और कनाडा के सभी उच्च न्यायालयों में न्यायिक सेवा की गुणवत्ता का सुधार करना है।

भारत में न्यायाधीशों के आचार संहिता: भारत के उच्चतम न्यायालय ने 7 मई, 1997 को हुई अपनी पूर्ण न्यायालय बैठक में "न्यायिक जीवन के मूल्यों के पुनर्कथन' *(Re-instatement of Values in Judicial Life)* नामक एक चार्टर को पारित कर दिया जिसे सामान्यतः न्यायाधीशों के लिए आचार संहिता के नाम से जाना जाता है। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं;

क. केवल न्याय ही नहीं किया जाना चाहिए बल्कि यह भी देखा जाना चाहिए कि न्याय कर दिया गया है। उच्चतर न्यायपालिका के सदस्यों के आचार और व्यवहार से न्यायपालिका की निष्पक्षता में लोगों का विश्वास सुदृढ़ होना चाहिए। तदनुसार, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश का ऐसा कोई कृत्य, चाहे वह कार्यालय में हो या व्यक्तिगत रूप से हो, जिससे इस पेशा की विश्वसनीयता को ठेस पहुंचे तो उससे बचना होगा।

ख. किसी भी न्यायाधीश को क्लब, सोसायटी या अन्य किसी संघ के किसी पद पर चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, इसके अलावा, उसे कोई निर्वाचन पद को धारण नहीं करना चाहिए, सिवाय उस सोसाएटी या संघ के जिसका संबंध कानून से हो।

ग. विधिज्ञ संघ के व्यक्तिगत सदस्यों के साथ नजदीकी संबंध, विशेष रूप से, जो उसी न्यायालय में अपना काम कर रहे हों, से दूर रहना चाहिए।

घ. न्यायाधीश अपने नजदीकी परिवार के किसी भी सदस्य को, जैसे कि पति/पत्नी, पुत्र, पुत्री, दामाद या बहू या अन्य कोई नजदीकी रिश्तेदार, जो विधिज्ञ संघ का एक सदस्य हो, अपने न्यायालय में उपस्थित होने देने और उस न्यायाधीश द्वारा किए जाने वाले किसी काम के साथ किसी प्रकार से भी संबंधित होने की आज्ञा नहीं देगा।

ङ. उसके परिवार के किसी भी सदस्य को, जो विधिज्ञ संघ का सदस्य हो, न्यायाधीश के वास्तविक आवास में रहने देने या उसके व्यावसायिक काम के लिए अन्य सुविधाएं दिए जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

च. न्यायाधीश को अपनी मर्यादा के अनुरूप अपनी पद्धति में अंतर का दर्जा रखना होगा।

छ. न्यायाधीश ऐसे किसी मामले को नहीं सुनेगा और न ही अपना निर्णय देगा जिसमें उसके परिवार का कोई सदस्य, नजदीकी संबंधी या मित्र उस मामले से संबंधित हो।

ज. न्यायाधीश किसी सार्वजनिक वाद-विवाद बहस में भाग नहीं लेगा या राजनीतिक मामलों अथवा उन मामलों में जो निलंबित हों और जिनका न्यायिक निर्णय आने की संभावना हो पर जनता के समक्ष अपने विचार व्यक्त नहीं करेगा।

झ. एक न्यायाधीश से यह अपेक्षित है कि उसका निर्णय स्वयं बोलने की क्षमता रखता हो। वह मीडिया के समक्ष कोई साक्षात्कार नहीं देगा।

ञ. न्यायाधीश अपने परिवार, नजदीकी संबंधी और मित्रों को छोड़कर किसी से उपहार या आतिथ्य सत्कार को स्वीकार नहीं करेगा।

ट. न्यायाधीश ऐसी किसी कंपनी से संबंधित मामले की सुनवाई नहीं करेगा और निर्णय नहीं लेगा, जिसमें उसके शेयर लगे हों जब तक कि उसने उसमें अपने हित को प्रकट न कर दिया हो और उस मामले को सुनवाई और निर्णय देने के लिए 'कोई आपत्ति नहीं' न ले ली हो।

ठ. न्यायाधीश शेयरों, स्टॉकों और ऐसी ही अन्य चीजों में सट्टा नहीं लगाएगा।

ड. न्यायाधीश स्वयं को या किसी अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई व्यापार या व्यवसाय में लिप्त नहीं होगा। (किसी शौक के रूप में विधि के शोध-प्रबंध के प्रकाशन या अन्य किसी गतिविधि को व्यापार या व्यवसाय नहीं समझा जाएगा।)

ढ. न्यायाधीश किसी भी प्रयोजन के लिए किसी भी प्रकार के कोष के लिए न तो अंशदान मांगेगा, न उसे स्वीकार करेगा या अन्यथा स्वयं को सक्रिय रूप से उससे संबंधित नहीं करेगा।

ण. न्यायाधीश अपने कार्यालय संबद्ध किसी परिलब्धि या विशेषाधिकार के रूप में किसी वित्तीय लाभ को प्राप्त नहीं करेगा जब तक कि यह स्पष्ट रूप से उपलब्ध न हो। इस बारे में किसी भी संदेह का समाधान करवा कर मुख्य न्यायाधीश के माध्यम से स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए।

त. प्रत्येक न्यायाधीश को इस बात से सर्वदा सावधान रहना चाहिए कि जनता उस पर टकटकी बांधे देख रही है और उसके द्वारा ऐसा कोई कृताकृत नहीं होना चाहिए जिससे उसके द्वारा धारित उच्च पद तथा लोक प्रतिष्ठा जिसमें वह पद धारित किया हुआ है दोनों अशोभनीय बनें।

ये केवल 'न्यायिक जीवन के मूल्यों के पुनर्कथन' हैं और अपने आप में परिपूर्ण नहीं है परंतु दृष्टांत स्वरूप हैं, जो किसी न्यायाधीश से अपेक्षित हैं।

निम्नलिखित दो संकल्पों को भी भारत के उच्चतम न्यायालय की उपर्युक्त संपूर्ण न्यायालय बैठक में पारित किया गया था:

'यह संकल्प लिया गया कि भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा उन न्यायाधीशों के विरूद्ध समुचित उपचारी कार्रवाई करने के लिए एक इन-हाउस प्रणाली को तैयार किया जाएगा, जो अपने कृताकृत द्वारा न्यायिक जीवन के सर्वसम्मति से स्वीकृत मूल्यों का पालन नहीं करते, जिनमें 'न्यायिक जीवन के मूल्यों के पुनर्कथन' में उल्लिखित मूल्य भी शामिल हैं।'

'यह भी संकल्प लिया गया कि प्रत्येक न्यायाधीश अपना पद संभालने के उचित समय के भीतर और पीठासीन न्यायाधीशों के मामले में इस संकल्प के पारित होने के युक्तियुक्त समय के भीतर और उसके पश्चात् जब कभी बड़ी मात्रा में अधिग्रहण किया जाता है तो उसे युक्तियुक्त समय के भीतर, अपनी जमीन जायदाद या निवेश के रूप में, सभी संपत्तियों (उसके अपने नाम में या उसकी पत्नी/पति के नाम में अथवा उस पर आश्रित किसी व्यक्ति के नाम में) की घोषणा करेगा। इस प्रकार की गई घोषणा न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को दी जाएगी। मुख्य न्यायाधीश रिकार्ड के उद्देश्य से इसी प्रकार की घोषणा करेगा। यथास्थिति न्यायाधीशों या मुख्य न्यायाधीश द्वारा की गई घोषणा को गोपनीय रखा जाएगा।'

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का मत था कि न्यायिक जीवन के पुनर्कथन मूल्य वृहत् रूप है और इसे पूर्ण नैतिक संहिता नहीं कहा जा सकता। आचार संहिता के निर्धारण मात्र से इसका अपने आप में अंत नहीं हो जाता। आचार संहिता के साथ, संहिता के प्रवर्तन के लिए एक प्रणाली को आरंभ करने की-आवश्यकता-है। उच्चतम न्यायालय के किसी वरिष्ठ न्यायाधीश को 'न्यायिक मूल्य आयुक्त' के रूप में पदाभिहित करना अपेक्षित होगा। न्यायिक मूल्य आयुक्त को आचार संहिता के अतिक्रमण के मामलों की जांच करके मामले की रिपोर्ट को भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास कार्रवाई के लिए भेजने के लिए सशक्त किया जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और अन्य न्यायिक और न्यायिककल्प निकायों के सदस्य, न्यायिक मूल्य आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में आने चाहिए। राज्य के स्तर पर भी इसी प्रकार के संस्थान का गठन किया जाना चाहिए। न्यायिक जवाबदेही का मुद्दा भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। न्यायिक जवाबदेही के प्रवर्तन के लिए प्रभावी व्यवस्था की आवश्यकता

पर अति-दबाव नहीं डाला जा सकता।

न्यायिक स्वतंत्रता और जवाबदेही दोनों को एक साथ चलना चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 में उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण के लिए उपबंध है जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि न्यायिक जवाबदेही के प्रवर्तन के लिए प्रभावशाली व्यवस्था का प्रबंध करना हमारे संवैधानिक दर्शन-शास्त्र का एक हिस्सा है। लेकिन यह व्यवस्था उस स्तर तक न्यायपालिका की स्वतंत्रता के साथ किसी भी प्रकार से समझौता नहीं करती। वास्तव में, संविधान के अनुच्छेद 50 में स्थापित न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखने के निदेशक सिद्धांत का यह सम्मान करती है और उसे सुदृढ़ करती है। इसमें संदेह नहीं है कि किसी अधीनस्थ न्यायाधीश की स्वतंत्रता उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि किसी उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की। यदि इस बात को स्वीकृत कर लियां जाए तो कोई कारण नहीं रह जाएगा कि उच्चतर न्यायपालिका के लिए जवाबदेह की व्यवस्था पर विचार न किया जा सके।

न्यायिक जवाबदेही विधेयक: उपर्युक्त सिफारिशों के आलोक में न्यायिक जवाबदेही विधेयक 2013 दिसंबर 2012 में संसद् में पेश किया गया जो कि न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 का स्थान लेगा। इस बिल की खासियत यह है कि इसके जरिए न्यायधीशों के खिलाफ जांच की व्यवस्था हो सकेगी। इस बिल के कुछ प्रावधानों को नए विधेयक में भी रखा गया है।

- न्यायधीशों को किसी भी संवैधानिक प्राधिकार के खिलाफ अवांछित टिप्पणी करने से बचने के लिए कहा गया है। अगर जज किसी भी संवैधानिक प्राधिकार के खिलाफ मौखिक टिप्पणी करता है तो वह न्यायिक कदाचार का दोषी होगा।
- न्यायधीशों को अपनी पूरी संपत्ति का खुलासा करना होगा। इसके अलावा इस विधेयक से कुछ न्यायिक मानक भी तय होंगे। न्यायधीशों को स्वयं, अपनी व अपनी पत्नी/पति और संतान की संपत्ति और देनदारी का पूरा खुलासा करना होगा।
- इस विधोयक से राष्ट्रीय न्यायिक ओवरसाइट कमिटी, शिकायत स्क्रूटनी पैनल और एक इंवेस्टिगेशन कमिटी की स्थापना होगी। कोई भी व्यक्ति किसी न्यायधीश के खिलाफ उसके अनुचित व्यवहार के आधार पर ओवरसाइट कमिटी को अपनी शिकायत दे सकेगा।
- अनुचित व्यवहार के आधार पर किसी न्यायधीश के निष्कासन के लिए संसद में प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। इस प्रस्ताव को ओवरसाइट कमिटी की तहकीकात व जांच के लिए भेजा जा सकेगा।
- न्यायधीशों के खिलाफ शिकायत व जांच गोपनीय रहेंगी और निराधार आरोप लगाने वाले शिकायतकर्ताओं के खिलाफ दंड का भी प्रावधान होगा।

अनुच्छेद 124 भारत के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की शक्ति राष्ट्रपति में निहित करता है। इसमें यह अनुबंध किया गया है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के और अन्य न्यायालयों के उतने ही न्यायाधीशों के साथ परामर्श करने के बाद करेगा, जितने कि न्यायाधीश वह आवश्यक समझे। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी भारत का राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श करना होगा। राष्ट्रपति द्वारा एक संदर्भ उच्चतम न्यायालय को 23 जुलाई 1998 को भेजा गया था, जिसमें उच्चतम न्यायालय को नौ प्रश्नों पर विचार करने को कहा गया था। उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिकथित सिद्धांतों में से एक यह था कि भारत का मुख्य न्यायाधीश चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों के समूह का गठन करेगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के तबादले के लिए ऐसा करना आवश्यक है और उस समूह का मत नियुक्तियों के मामलों में प्रमुख होगा। इसने यह भी स्पष्ट किया है कि कार्यपालिका के लिए यह विकल्प खुला रहेगा कि वह इस समूह को अपनी आपत्तियों की सूचना दे। तथापि, यदि मुख्य न्यायाधीश और उसके साथी न्यायाधीशों का फिर भी यह मत हो कि उनकी सिफारिशों को वापस लेने का कोई कारण न बनता हो तब एक स्वस्थ परंपरा का पालन करते हुए वह नियुक्ति कर दी जानी चाहिए। तथापि, यदि दो न्यायाधीशों को किसी विशेष नियुक्ति के बारे में गंभीर आपत्ति हो तो नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए।

जैसाकि संविधान में अनुबंध किया गया है तथा जैसाकि उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्वचन किया गया है, उच्च न्यायालयों में नियुक्तियों की व्यवस्था में न्यायिक स्वतंत्रता को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। भारत में, कुछ न्यायाधीशों का समूह ही राष्ट्रपति को पीठ की प्रगति की सिफारिश करता है और इस प्रयोजन के लिए बाहर से कोई परामर्श नहीं दिया जाता है। न्यायिक घोषणाओं ने सिफारिश को बाध्यकारी बना दिया है। शायद, विश्व के और किसी देश में अपनी ही नियुक्तियों के बारे में न्यायपालिका अन्तिम रूप से कुछ नहीं कहती। भारत में, न तो कार्यपालिका और न ही विधायिका उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में किसी नियुक्ति के बारे में अपना कोई कथन रख पाती है। नियुक्ति की वर्तमान व्यवस्था सार्वजनिक रूप से छानबीन के लिए खुली हुई नहीं है, अतः जवाबदेही और पारदर्शिता से अभावग्रस्त है। विभिन्न देशों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था का तुलनात्मक विश्लेषण से पता चलता है कि अमेरिका, ब्रिटेन एवं फ्रांस जैसे देशों में उच्च न्यायपालिका के लिए लोगों की सिफारिश करने के लिए एक समिति बनी हुई है और उस समिति में ऐसे लोगों को भी शामिल किया हुआ है जो अनिवार्यतः न्यायपालिका से ही न हों बल्कि संभवतः प्रतिष्ठावान व्यक्ति भी हो सकते हैं।

भारत में न्यायधीशों की नियुक्ति में पारदर्शिता बरतने हेतु केंद्र सरकार ने 22 अगस्त, 2013 को एक 'न्यायिक नियुक्ति आयोग' के गठन का प्रस्ताव किया है। इसके तहत अभी न्यायाधीशों की नियुक्ति में कॉलेजियम प्रणाली की जगह न्यायिक नियुक्ति आयोग की भूमिका होगी।

विनियामकों के लिए नैतिक संहिता

व्यावसायियों तथा अन्य व्यापारियों के लिए आचार संहिताएं होती हैं। वास्तव में, ऐसी संहिताएं अति प्राचीन समय से चलती आ रही हैं। उदाहरण के लिए, हम्मुराबी की संहिता में यह निर्धारित है:

- यदि कोई गृह निर्माता किसी घर को बनाता है और इसका अच्छी तरह से निर्माण करता है तो घर का स्वामी उस घर के प्रत्येक धरातल के लिए दो शैकल्स (इजाउल की मुद्रा) देगा।
- यदि कोई गृह निर्माता किसी के लिए घर बनाता है और उसका अच्छी तरह से निर्माण नहीं करता और उसके द्वारा निर्मित घर गिर जाता है और घर के स्वामी की मृत्यु हो जाती है तो उस गृह निर्माता को मौत के घाट उतार दिया जाएगा।

समाज के विभिन्न वर्गों के लिए आचार संहिता का निर्धारण और प्रवर्तन सामान्यतः आन्तरिक विनियामक व्यवस्थाओं से होता है। गिल्डस ऐसी ही एक व्यवस्था का अति प्राचीन रूप है। यह गिल्डस एक ही प्रकार के व्यापारियों या पेशे के लोगों का संघ होता था जो अपने परस्पर हितों की रक्षा करने और मानदंडों को बनाए रखने के लिए गठित किया जाता था। प्रतिस्पर्द्धा औद्योगिकरण हो जाने के कारण इन गिल्डों का प्रचलन कमोवेश समाप्त हो गया है। फिर भी पिछली शताब्दी में बड़ी संख्या में व्यवसायों का आविर्भाव देखने को मिला है, विशेष रूप से वह जिसे आज सेवा क्षेत्र की संज्ञा दी जाती है। इन व्यावसायियों ने प्रारंभ में विभिन्न प्रकार के संघों में अपने को संगठित किया ताकि सामान्य उद्देश्यों को हासिल किया जा सके और साथ ही उनका प्रवर्तन करने के लिए व्यवहार और व्यवस्थाओं के स्वीकार्य प्रतिमानकों को तैयार

किया जा सके। कुछ मामलों में ऐसी व्यवस्थाओं के लिए सांविधिक पृष्ठभूमि भी अपनाई गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) में यह निर्धारित किया गया है कि परिषद् व्यावसायिक आचार और शिष्टाचार के मानकों और आयुर्विज्ञान व्यावसायियों के लिए नैतिक संहिता को विहित करे। आयुर्विज्ञान परिषद् ने तदनुसार व्यावसायिक आचार से संबंधित विनियमों 'पंजीकृत आयुर्विज्ञान व्यावसायियों के लिए शिष्टाचार और नैतिकता' को बनाया है। अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में भारतीय विधिज्ञ परिषद् के कृत्यों को रखा गया है, जिसमें अधिवक्ताओं के लिए व्यावसायिक आचार और शिष्टाचार शामिल है। चार्टर्ड अकाउन्टेंट्स अधिनियम, 1949 में भारत में चार्टर्ड लेखा-प्रणाली व्यवसाय के अधिनियमन के लिए इन्स्टीट्यूट आफ चार्टर्ड अकाउन्टेंट्स आफ इंडिया के गठन के लिए अनुबंध किया गया है। चार्टर्ड अकाउन्टेंट्स अधिनियम, 1949 और इस अधिनियम की अनुसूचियों में व्यवसाय के सदस्यों के व्यवहार के स्वीकार्य प्ररूपों को भी रखा गया है। भारतीय प्रेस परिषद्, प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 के अंतर्गत काम करती है। यह एक सांविधिक, न्यायिक-कल्प निकाय है, जो प्रेस पर निगरानी रखने का काम करती है। यह प्रेस द्वारा या प्रेस के विरुद्ध क्रमश: नैतिकता के हनन और प्रेस की स्वतंत्रता के अतिक्रमण की शिकायतों का न्यायनिर्णय करती है। इस परिषद् के उद्देश्य और कृत्यों में समाचार-पत्रों, समाचार एजेंसियों और पत्रकारों के लिए आचार संहिता का उच्च व्यावसायिक मानदंडों के अनुसार निर्धारण करना शामिल है। भारतीय प्रेस परिषद् ने पत्रकारिता मानदंड संहिता को जारी किया है, जिसका अनुपालन करना मीडिया से अपेक्षित है। इंस्टीट्यूशन आफ इंजीनियर्स (रायल चार्टर, 1935 के अन्तर्गत निगमित 1935) ने 'निगमित सदस्यों के लिए नैतिक संहिता' को विहित किया हुआ है।

आन्तरिक विनियामकों को छोड़ कर, विनियामकों का एक और वर्ग है, जिसे 'बाहरी विनियामक' कहा जा सकता है। बाहरी विनियामक का एक उदाहरण अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् है, जो एक सांविधिक निकाय है, जिसे सारे देश में तकनीकी शिक्षा प्रणाली के समुचित आयोजन और समन्वित विकास के लिए गठित किया गया है। सरकार के कृत्यों में प्रतिस्पर्द्धा के आगमन से 'बाहरी विनियंत्रकों' की संख्या अधिक देखने को मिली है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण और राज्य विद्युत् विनियामक प्राधिकरण इसके कुछ अन्य उदाहरण हैं।

लगभग सभी व्यवसायों के लिए प्रचुर मात्रा में आचार संहिताओं के विद्यमान होने के बावजूद, प्राय: यह ध्यान दिलाया जाता है कि नैतिकता के मानदंडों का अनुपालन सामान्यत: असंतोषजनक रहा है। व्यवसायों में नैतिक मूल्यों की गिरावट ने देश के शासन तंत्र को विपरीत रूप से प्रभावित किया है और सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार के बढ़ने का यह एक महत्वपूर्ण कारण है। बाहरी विनियामक की भूमिका भी इससे बढ़ जाएगी जब सरकारी कृत्यों को शुरू कर दिया जाएगा। ऐसे मामलों में विनियामकों को स्वयं के लिए और इसके साथ-साथ सेवा प्रदान करने वालों के लिए नैतिकता के मानदंडों को विहित करना आवश्यक हो जाएगा। इससे भी अधिक महत्व की बात उद्देश्यपूर्ण, पारदर्शी और निष्पक्ष निर्णय लेने की प्रक्रियाओं और प्रवर्तन व्यवस्थाओं को तैयार करना है।

इंजीनियरिंग पेशा के लिए कोड ऑफ इथिक्स

इंस्टीट्यूशन आफ इंजीनियर्स **'निगमित सदस्यों के लिए नैतिक संहिता'**: इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स ने इंजीनियरिंग पेशा से जुड़े पेशेवरों के लिए 'कोड ऑफ इथिक्स' बनाया है जो कि 1 मार्च, 2004 से लागू है। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

2.1 एक कंपनी (कॉरपोरेट) के सदस्य अपने ज्ञान और विशेषज्ञता का उपयोग अनुभागीय या निजी हितों के बिना किसी भेदभाव के समुदाय के कल्याण, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए करेगा,

2.2 एक कंपनी के सदस्य समुदाय व पेशे के विश्वास रखने के लिए अपने सभी व्यावसायिक कार्यों में सम्मान, सत्यनिष्ठा और गरिमा को बनाए रखेगा,

2.3 एक कंपनी के सदस्य केवल अपनी क्षमता के हिसाब से और लगन, देखभाल, गंभीरता और ईमानदारी के साथ कार्य करेगा,

2.4 एक कंपनी के सदस्य इन सिद्धांतों के प्रति अपने दायित्वों के साथ समझौता किए बिना अपने ज्ञान एवं विशेषज्ञता को अपने नियोक्ता या उन ग्राहकों के हित में लागू करेगा जिसके लिए वह काम करता है।

2.5 एक कंपनी के सदस्य स्वयं या अपने साथियों की योग्यता, अनुभव, आदि का गलत प्रतिनिधित्व नहीं करेगा।

2.6 एक कंपनी के सदस्य, उसके कार्यों से उत्पन्न पर्यावरणीय, आर्थिक, सामाजिक या अन्य संभावित परिणामों को, जहां आवश्यक एवं संभव हो, खुद को, अपने नियोक्ता को या ग्राहक को सूचित करने के लिए सभी उचित कदम उठाएगा।

2.7 एक कंपनी के सदस्य बयान देने या गवाह देने में अत्यंत ईमानदारी और निष्पक्षता को बनाए रखेगा और ऐसा वह पर्याप्त ज्ञान के आधार पर करेगा।

2.8 एक कंपनी के सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी अन्य सदस्य के पेशेवर प्रतिष्ठा को चोट नहीं पहुंचाएगा।

2.9 एक कंपनी के सदस्य अनुचित व्यवहार को शामिल करने वाले या पारिस्थितिकी तंत्र को अपरिहार्य नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी प्रस्ताव को खारिज कर देगा।

2.10 एक कंपनी के सदस्य को विकास की प्रक्रिया की सततता को बनाये रखने के लिए चिंता करनी चाहिये और अपनी क्षमताओं का सर्वाधिक इस्तेमाल करेगा।

2.11 एक कंपनी के सदस्य किसी भी तरीके से ऐसा कार्य नहीं करेगा, जिससे संस्था की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचती हो या फिर संस्थान को किसी अन्य तरीके से अथवा आर्थिक स्तर पर नुकसान होता हो।

मीडिया के लिए कोड ऑफ इथिक्स

मीडिया के लिए नैतिक संहिता भारतीय प्रेस परिषद् एवं स्वशासित न्यूजब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ने तैयार किये हैं।

न्यूजब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन की कोड ऑफ इथिक्स एवं प्रसारण मानक

खंड 1: मौलिक या बुनियादी सिद्धांत

1. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पेशेवर पत्रकारों को यह स्वीकार करना चाहिए और समझना चाहिए कि वे जनता के विश्वास के पहरुए यानी पहरेदार हैं और इसीलिए उन्हें सत्य की खोज करने और उसे संपूर्ण रूप में पूरी आजादी के साथ और निष्पक्षता के साथ लोगों के सामने पेश करना चाहिए। पेशेवर पत्रकारों को अपने द्वारा किए गए कामों के संबंध में पूरी तरह जवाबदेह भी होना चाहिए।

2. इस संहिता का उद्देश्य ऐसे व्यापक प्रचलनों को दस्तावेज की शक्ल देनी है, जिन्हें न्यूज ब्राडकास्टर्स एसोसिएशन (एनबीए) के सभी सदस्य प्रचलन और प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करते हैं। इससे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को जन सेवा और एकरूपता के उच्चतम संभव मानकों को अपनाने और उन पर चलने में मदद मिलेगी।

3. समाचार चैनल यह मानते हैं कि पत्रकारिता के उच्च मानकों के साथ जुड़े रहने के मामलों में उनके ऊपर खास किस्म की जिम्मेदारी है क्योंकि जनमत को सबसे ज्यादा प्रभावित करने की ताकत भी उनके ही पास है। मोटे तौर पर समाचार चैनलों को जिन सिद्धांतों पर चलना चाहिए, उनका उल्लेख यहां पर किया गया है।

4. खास तौर पर प्रसारणकर्ताओं को यह पूरी तरह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे किसी भी विवादित सार्वजनिक मामले में दोनों में से किसी पक्ष को नुकसान या फायदा

पहुंचाने की दृष्टि से सामाचार का चुनाव नहीं करना चाहिए। समाचार सामग्री का चयन अथवा उनकी रचना किसी भी विशेष आस्था, विचार अथवा किसी वर्ग विशेष की इच्छा पूरी करने या उसे बढ़ावा देने के लिए नहीं होना चाहिए।

5. लोकतंत्र में खबरों के प्रसारण का बुनियादी उद्देश्य है, लोगों को शिक्षित करना और उन्हें यह बताना कि देश में क्या हो रहा है ताकि देश की जनता महत्वपूर्ण घटनाओं को भली भांति समझ सके और उनके बारे में अपने मुताबिक निष्कर्ष निकाल सके।

6. सभी प्रसारणकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी समाचार को संपूर्ण और निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत किया जाए क्योंकि प्रत्येक समाचार चैनल की बुनियादी जिम्मेदारी एक जैसी ही होती है। लोकतंत्र में सभी प्रकार के दृष्टिकोणों को प्रस्तुत करने की अहमियत को महसूस करते हुए प्रसारणकर्ताओं को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी चाहिए कि विवादित विषयों को बिना किसी पक्षपात के पेश किया जाएगा और उसमें प्रत्येक दृष्टिकोण के लिए पर्याप्त समय दिया जाए। इसके अलावा समाचार सामग्री के चयन के समय भी जनहित को सबसे ऊपर रखा जाए और किसी भी लोकतंत्र में उन समाचार सामग्रियों के महत्व के आधार पर उन्हें चुना जाए।

खंड 2: आत्म नियंत्रण का सिद्धांत

- खुद पर नियंत्रण रखने के लिए न्यूज ब्राडकास्टर्स एसोसिएशन ने साझा रूप से स्वीकार किए गए सामग्री संबंधी दिशानिर्देश तैयार किए हैं। इसका उद्देश्य संपादकीय सिद्धांतों को परिभाषित करना है, जो भारत के संविधान में उल्लिखित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांत और तत्वों से पूरी तरह मेल खाते हैं। इसके अलावा इन दिशानिर्देशों में नियामक ढांचा तैयार किया गया है, जो टेलीविजन दर्शकों की भावनाओं का ध्यान में रखकर बनाया गया है।
- आत्म नियंत्रण के लिए बनाए गए इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य उन बुनियादी मूल्यों और लक्ष्यों को समझते हुए उनकी उद्घोषणा करना और उनका भली भांति पालन करना है, जिन्हें समाचार चैनल अंगीकार करते हैं। इनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ये सिद्धांत कार्य में भी दिखाई दें महज शब्दों में ही नहीं।
- आत्म नियंत्रण के सभी सिद्धांतों को एक साथ रखने का उद्देश्य प्रसारित होने वाली किसी भी ऐसी सामग्री के माध्यम से टेलीविजन समाचार की शुचिता के साथ समझौता होने से रोकना है, जो कि पक्षपात पूर्ण, विपरीतगामी, जानबूझकर गलत, नुकसान पहुंचाने वाली और भ्रामक है तथा हितों के टकराव को छुपाने के लिये जानबूझ कर प्रसारित की जा रही है।
- आत्म नियंत्रण के इन सिद्धांतों का उद्देश्य टेलीविजन पत्रकारिता के पेशे को मजबूत करना और उसके लिए मूल्यों की ऐसी संहिता तैयार करना है, जो लंबे समय तक कायम रहेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए संतुलित और समग्र पत्रकारिता फलती फूलती रहे।
- नीचे ऐसे कुछ क्षेत्रों के बारे में विस्तार से बताया गया है, जहां प्रसारणकर्ताओं को आत्म नियंत्रण की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है।

1. रिपोर्टिंग पक्षपात रहित हो और उसमें वस्तुनिष्ठता हो: समाचार चैनलों के काम में सबसे महत्वपूर्ण पहलू सच्चाई एवं सटीकता है अर्थात वे जो कुछ दिखाएं वह पूरी तरह सच हो। 24 घंटे के समाचार चैनल देखने वाले दर्शक रफ्तार यानी फटाफट खबरें पेश होने की अपेक्षा करते हैं, लेकिन रफ्तार से भी ज्यादा सटीकता और संतुलन बनाए रखना और उन्हें फटाफट खबरों से ज्यादा तरजीह देना टेलीविजन समाचार चैनलों की जिम्मेदारी होती है। इसके बावजूद यदि उनसे गलती होती है, तो चैनलों को उन गलतियों के बारे में पूरी तरह पारदर्शिता बरतनी चाहिए। गलतियों को तुरंत और स्पष्ट रूप से सही करना चाहिए, चाहें वह गलती चित्रों के इस्तेमाल में हुई है, किसी समाचार रिपोर्ट में हुई है, कैप्शन में हुई है या ग्राफिक में हुई है या फिर स्क्रिप्ट में ही गलती हो गई है। चैनलों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी किसी भी सामग्री का प्रसारण न हो जाए, जो स्पष्ट तौर पर मानहानि करने वाली अथवा किसी तरह के मुकदमे का कारण बनने वाली हो। ऐसे सभी प्रकार के मामलों में सत्य ही हिफाजत का माध्यम बनेगा, जहां व्यापक जन हित जुड़ा हुआ होता है और उन मामलों में भी सभी संबंधित पक्षों को अपने विचार और दृष्टिकोण रखने का पूरा और समान मौका दिया जाएगा। यह सिद्धांत उन मामलों में भी लागू होगा, जहां टेलीविजन चैनल उन लोगों के बारे में कोई समाचार प्रसारित करते हैं, जो किसी सार्वजनिक पद पर आसीन हैं, हालांकि महज सार्वजनिक पद पर होने का तर्क देकर ही कोई व्यक्ति समाचार चैनलों की जांच पड़ताल, खोजबीन या आलोचना से बरी नहीं हो सकता।

2. निष्पक्षता सुनिश्चित की जाए: किसी प्रकार के विवाद अथवा झगड़े आदि में सभी प्रभावित पक्षों, खिलाड़ियों और अभिनेताओं को उनके विचार और दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का समान अवसर देकर टेलीविजन समाचार चैनलों को पूरी तरह निष्पक्षता बरतनी चाहिए। हालांकि निष्पक्षता का मतलब हमेशा सभी पक्षों को बराबर का अवसर देना नहीं होता (समाचार चैनलों को मुख्य पक्षों के मुख्य विचारों और दृष्टिकोणों को प्रस्तुत करने का प्रयास तो करना ही चाहिए।) समाचार चैनलों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी प्रकार के आरोप को सत्य के रूप में पेश नहीं किया जाना चाहिए और इसी प्रकार आरोपों को कभी अपराध की शक्ल देकर पर्दे पर नहीं उतारना चाहिए।

3. अपराध के बारे में रिपोर्टिंग करते समय और अपराध और हिंसा सुनिश्चित करने वाली गतिविधियों के बारे में बताते समय उनका महिमामंडन न किया जाए: टेलीविजन समाचार चैनलों की पहुंच बहुत ज्यादा होती है और मीडिया के अन्य रूपों के मुकाबले उसका असर भी बहुत तेज और तुरंत होता है और ये दोनों पहलू इस बात को जरूरत और बढ़ा देते हैं कि चैनलों को यह सुनिश्चित करने के लिए समुचित संयम बरतना चाहिए कि किसी भी प्रकार के समाचार अथवा दृश्य प्रसारण से हिंसा को बढ़ावा न मिले, उसका महिमामंडन न हो, वह भड़क न जाए या उसे सकारात्मक नजरिये से न देखा जाए। ऐसा ही हिंसा करने वालों के साथ भी होना चाहिए, चाहे वे किसी भी विचारधारा के हों और उनका संदर्भ कुछ भी हो। ऐसे दृश्यों का प्रसारण नहीं होना सुनिश्चित करना चाहिए और उसके लिए विशेष सावधानी भी बरतनी चाहिए, जो किसी के बारे में पूर्वग्रह बनाते हों या भड़काऊ हों।

इसी प्रकार हिंसा (चाहे वह सामूहिक हो या व्यक्तिगत) की रिपोर्टिंग करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हिंसा का किसी भी प्रकार से महिमामंडन न हो जाए क्योंकि इससे दर्शकों पर भ्रामक या संवेदनहीन कर देने वाला प्रभाव पड़ सकता है। समाचार चैनल यह सुनिश्चित करेंगे कि इन घटनाओं का नाटकीय रूपांतरण करते समय किसी भी तरह जन हित और संवेदनशीलता की सीमाओं का उल्लंघन न होने पाए। इसमें पीड़ा, भय इत्यादि के दृश्य दिखाते समय पर्याप्त सावधानी बरतने का प्रावधान भी शामिल होना चाहिए। इसके अलावा आत्महत्या अथवा खुद को नुकसान पहुंचाने की किसी भी घटना या तरीके के ब्यौरे देने या दृश्य दिखाने से बचना चाहिए और इसमें भी शालीनता की सीमाएं किसी भी हालत में नहीं लांघी जानी चाहिए।

4. महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा और भयभीत किए जाने का चित्रण: बिंदु 3 की व्याख्या के तौर पर, समाचार चैनल यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी महिला अथवा बच्चा, जो यौन हिंसा, प्रताड़ना, सदमे का शिकार हुआ हो अथवा इस प्रकार की किसी भी गतिविधि

का गवाह बना हो, उसका परिचय छिपाने का समुचित प्रयास किए बिना टेलीविजन पर न दिखाया जाए। यौन हिंसा के सभी मामलों अथवा ऐसे मामले, जो किसी महिला के व्यक्तिगत चरित्र अथवा निजता से संबंधित होते हैं, उनमें महिलाओं के नाम, उनके चित्र और अन्य ब्यौरे और जानकारी को प्रसारित अथवा प्रचारित नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार बाल शोषण और बाल अपराधों के मामले में पीड़ितों के परिचय का भी खुलासा नहीं किया जाएगा और उनका परिचय छिपाने के लिए उनके चित्रों को छिपाते हुए प्रसारित किया जाएगा अथवा उनकी मॉर्फिंग कर दी जाएगी।

5. सेक्स एवं नग्नता: समाचार चैनल यह सुनिश्चित करेंगे कि वे पुरुष अथवा महिला की नग्नता को मॉर्फिंग के बगैर किसी भी रूप में प्रदर्शित अथवा प्रसारित नहीं करेंगे। चैनल यौन क्रियाकलापों अथवा यौन विकार अथवा बलात्कार या छेड़छाड़ जैसे यौन हिंसा के ज्यों के त्यों चित्र आदि भी प्रदर्शित नहीं करेंगे और न ही नग्नता अथवा पोर्नोग्राफी अथवा यौन संकेत करने वाली भाषा के इस्तेमाल को प्रदर्शित एवं प्रसारित करेंगे। (हालांकि चैनलों से यह अपेक्षा कभी नहीं की जाती है कि वे नैतिकतावादी अथवा विनयपूर्ण आचरण वाले बनें और इस आत्म नियंत्रण का उद्देश्य नैतिकता की ठेकेदारी करना नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बेहद आपत्तिजनक और खेदजनक सामग्री और दृश्य किसी भी प्रकार से प्रसारित नहीं होने पाएं।)

6. **निजता:** एक नियम के तौर पर चैनल किसी भी सूरत में किसी व्यक्ति के निजी जीवन अथवा व्यक्तिगत मामलों में दखल नहीं दे सकते, जब तक कि इस प्रकार के प्रसारण में व्यापक और स्पष्ट सार्वजनिक हित होने की बात साफ तौर पर पता नहीं लग जाती है। इस संबंध में जिस सिद्धांत का पालन समाचार चैनलों को करना होता है, उसके मुताबिक किसी निजी स्थान, दस्तावेज, लिखित सामग्री, टेलीफोन पर हुई बातचीत और किसी अन्य प्रकार की सामग्री अपने हित के लिए इस्तेमाला नहीं की जा सकती। उसका इस्तेमाल तभी किया जा सकता है, जब वह जन हित में हो। हालांकि इस बात को अच्छी तरह से समझा जाता है कि पहले से अनुमति लेने के सिद्धांत का पालन करने पर सत्यतापरक समाचार दिखाना संभव नहीं होता, इसलिए भर तक जाने वाले व्यक्तियों अथवा अधिकारियों का इस्तेमाल समाचार संकलन के लिए किया जा सकता है, लेकिन उसमें भी व्यापक जन हित का पहलू शामिल होना चाहिए। इसके अलावा अवयस्कों यानी नाबालिगों के मामले में ऐसे किसी भी प्रसारण से पहले, जिसमें उनकी निजता का हनन होता हो, चैनलों को यथासंभव नाबालिगों के माता-पिता अथवा स्थानीय अभिभावक की अनुमति प्राप्त करनी चाहिए। लेकिन निजता की रक्षता के पहलू को प्रवेश की अनुमति नहीं दिए जाने का अधिकार नहीं समझ लेना चाहिए और यह बात सार्वजनिक नजर में रहने वाले व्यक्तियों और सार्वजनिक व्यक्तित्वों समेत सभी व्यक्तियों पर लागू होती है। ऊपर दिए गए प्रावधानों का पालन करते हुए यह बात उन सभी व्यक्तियों के नाबालिग बच्चों और संबंधियों पर भी लागू होती है।

7. **राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा:** ऐसी किसी भी शब्दावली और मानचित्रों, जिनमें भारत और भारत के सामरिक हितों का चित्रण किया गया हो, का इस्तेमाल करते समय सभी समाचार चैनल विधि और भारत सरकार के कानूनों के मुताबिक मंजूरी प्राप्त विशिष्ट शब्दावली और मानचित्रों का ही इस्तेमाल करेंगे। (भारत के क्षेत्र का मानचित्र दिखाते समय उसमें उन आधिकारिक दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा, जो सरकारी दस्तावेजों में दिए गए हैं।) समाचार चैनल इस प्रकार के किसी प्रसारण की भी अनुमति नहीं देंगे जिससे अलगाववादी संगठन और उसके हितों को बढ़ावा मिलता हो अथवा ऐसी सूचना का खुलासा हो जाता हो, जिससे जन जीवन और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो जाए। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन की घटनाओं और राष्ट्रीय सुरक्षा में मौजूद खामियों का प्रसारण करना जन हित में है और इनके बारे में समाचार दिखाने को राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा आ जाना नहीं समझा जाना चाहिए।

8. **अंधविश्वास और गोपनीय संप्रदायों को बढ़ावा देने या उनकी वकालत करने से बचा जाए:** समाचार चैनल ऐसी किसी भी सामग्री का प्रसारण नहीं करेंगे, जिससे अंधविश्वास अथवा किसी गोपनीय संप्रदाय का किसी भी रूप में महिमामंडन किया जाता हो। इस प्रकार के किसी भी वर्ग के बारे में समाचार का प्रसारण करते समय समाचार चैनलों को सार्वजनिक सूचना (डिसक्लेमर) भी जारी करना होगा, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि दर्शक इस प्रकार के विश्वासों अथवा गतिविधियों में विश्वास नहीं करेंगे और उनकी नकल भी नहीं करेंगे। इसलिए समाचार चैनल किसी भी 'अलौकिक गतिविधि', भूत और आत्मा, व्यक्तिगत अथवा सामाजिक प्रथा अथवा समाज से हटकर व्यवहार के बारे में मिथ्या धारणाओं को 'तथ्य' के रूप में प्रसारित नहीं करेंगे और न ही उनका नाटकीय रूपांतरण करेंगे। जहां भी ऐसे मामलों का जिक्र किया जाएगा, समाचार चैनल एयर राइडर/डिसक्लेमर/ चेतावनी दिखाकर यह सुनिश्चित करेंगे कि इस प्रकार की आस्थाओं और घटनाओं को दर्शक 'तथ्य' न समझ लें क्योंकि ये किसी व्यक्ति की तार्किक संवेदनाओं को चोट पहुंचा सकती हैं।

9. **स्टिंग ऑपरेशन:** निर्देशक सिद्धांत के तौर पर स्टिंग और छिपे हुए अभियान अथवा ऑपरेशन किसी समाचार कथा के बारे में दर्शकों को समग्र जानकारी देने के लिए किसी समाचार चैनल की ओर से अंतिम तरीका होने चाहिए। समाचार चैनल स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए किसी भी सूरत में सेक्स और गंदे तरीकों का सहारा नहीं लेंगे और किसी भी स्टिंग ऑपरेशन की रिकॉर्डिंग के लिए उचित तरीके के रूप में नशीले पदार्थों और निश्चेतक पदार्थों अथवा हिंसा, भयभीत करने और भेदभाव के किसी भी कार्य को नहीं करेंगे। स्टिंग ऑपरेशन पहले बताए गए आत्म नियंत्रण के सिद्धांतों से भी बंधे रहेंगे और समाचार चैनल यह सुनिश्चित करेंगे कि ऊपर बताए गए दिशानिर्देशों के मुताबिक ही स्टिंग ऑपरेशन स्पष्ट और व्यापक जनहित में किए जाएंगे। समाचार चैनल एक बुनियादी नियम के तौर पर यह सुनिश्चित करेंगे कि स्टिंग ऑपरेशनों का इस्तेमाल किसी प्रकार के अनुचित कार्य अथवा आपराधिक कृत्य के स्पष्ट प्रमाण पाने के लिए माध्यम के तौर पर ही किया जाएगा और मौलिक फुटेज में दिए गए दृश्यों में इस प्रकार से जानबूझकर कोई भी फेरबदल अथवा संपादन आदि नहीं किया जाएगा, जिससे इनमें बदलाव आ जाए अथवा सत्य गलत तरीके से सामने आए और सत्य का केवल एक हिस्सा ही प्रदर्शित हो सके।

10. **संशोधन:** सभी समाचार चैनल सटीकता और पक्षपात हीनता के सिद्धांतों के मुताबिक ही काम करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी प्रकार के प्रसारण में हुई महत्वपूर्ण गलती के बारे में जानकारी दी जाए और उसे तुरंत ही प्रसारण के जरिये सही किया जाए। संशोधन इस प्रकार से प्रसारित किए जाने चाहिए कि वे दर्शकों का पर्याप्त ध्यान आकर्षित कर सकें और उन्हें छिपे हुए रूप में नहीं प्रसारित करना चाहिए। अन्य सिद्धांतों की ही तरह इस सिद्धांत को भी इसके संपूर्ण रूप में देखा जाना चाहिए महज शब्दों में नहीं ताकि भारत में समाचार प्रसारण उद्योग की प्रतिष्ठा के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं होने पाए।

11. **दर्शकों की प्रतिक्रिया (फीडबैक):** सभी समाचार चैनल अपनी वेबसाइट पर उपभोक्ताओं अथवा दर्शकों की प्रतिक्रिया यानी फीडबैक प्राप्त करने का प्रावधान भी करेंगे। इसके अलावा दर्शकों की विशेष प्रकार की किसी भी शिकायत का उत्तर भी दिया जाएगा। यदि किसी समाचार चैनल को कोई विशेष शिकायत मिलती है और वह सत्य भी पाई जाती है, तो वह अपने प्रसारण के दौरान अर्थात पर्दे पर ही उसे स्वीकार करेगा और दर्शक को संपूर्ण रूप से और निष्पक्ष तरीके से उसका जवाब भी देगा। यदि कोई दर्शक/निकाय किसी समाचार चैनल पर प्रसारित हुए किसी विशेष समाचार से परेशान होता है, तो चैनल दर्शक को संपूर्ण रूप से और बिना किसी पक्षपात के उस शिकायत का जवाब देगा।